कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

झारखण्ड सरकार

Ph. & Fax (o) - 06541-222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक दिनांक

सेवा में

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
चतरा।

विषयः— वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत टोरी—शिवपुर न्यु0 बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका ज्ञापांक 1331 दिनांक 25.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक रेलवे निर्माण हेतु प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसमें बिन्दु संख्या 2, 3, 5 एवं 6 चार बिन्दु इस प्रमंडल से संबंधित है। बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 5 का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय का पत्रांक 535 दिनांक 18.02.2017 द्वारा भेजी जा चुकी है। प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 156 दिनांक 11.06.2017 द्वारा बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में शीघ्र 197.933 हे0 वनभूमि का Geo-reference Map नौ प्रतियों में समर्पित की गई है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में सी0डी0 की मांग प्रयोक्ता अभिकरण से की जा रही है। प्राप्त होते ही अलग से भेजी जाएगी।

अतः 197.933 हे0 वनभूमि का Geo-reference Map की आठ प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0—यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0/—
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक 2241 दिनांक 15/6/17

प्रतिलिपि :— वारिज नयन, उप मुख्य अभियंता (निर्माण)/3, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को उनके पत्रांक 156 दिनांक 11.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 197.933 हे0 वनभूमि का Geo-reference Map की सॉफ्ट कॉपी के रूप में सी0डी0 नौ प्रतियों समर्पित की जाय ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सकें।

15.06.17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

15/6/17

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक दिनांक

सेवा में

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
चतरा।

विषयः— वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत टोरी—शिवपुर न्यु0 बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 130 दिनांक 17.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक रेलवे निर्माण हेतु प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसमें बिन्दु संख्या 2, 3, 5 एवं 6 चार बिन्दु इस प्रमंडल से संबंधित है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश प्राप्त जिसकी प्रति सीधे आपको भी प्रेषित की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दो बिन्दु का अनुपालन प्रतिवेदन अपने पत्रांक 1445 दिनांक 02.02.2017 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :—

2. वृक्षों की गणना सूची आठ प्रति में संलग्न है।

3. प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि का Geo-reference Map की आठ प्रतियों में संलग्न है।

5. विषयक रेलवे लाईन निर्माण में बिना अनुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में किये गये कार्य को पार्ट— II में अंकित करते हुये संशोधित (Rectified) आठ प्रतियों में संलग्न है।

6. टोरी—शिवपुर रेलवे लाईन निर्माण हेतु 197.933 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उस रेलवे लाईन का Geo-reference map in shape file उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता संस्थान द्वारा 15 दिनों का समय लिया गया है। शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को प्राप्त होते ही अगल से भेजी जाएगी।

अनु0—यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0 / —
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 130 दिनांक 17.02.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

ह0 / —
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक 535 दिनांक 18/02/2017

प्रतिलिपि :— वारिज नयन, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) / 3, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को उनके पत्रांक 1445 दिनांक 02.02.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बिन्दु संख्या 6 का अनुपालन प्रतिवेदन नौ प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराई जाय, ताकि उच्चाधिकारियों को अवगत कराई जा सकें।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।